भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 884
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

आश्रय गृह

884. **श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा मानसिक रूप से निःशक्त निराश्रित बच्चों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं और उक्त आश्रय गृहों में औसतन कितने बच्चों को रखा जा सकता है;
(ख) उक्त आश्रय गृहों में उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में ऐसे और आश्रय गृह स्थापित करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान राज्य में इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, संस्थागत देखरेख में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के लिए सहायता शामिल है। इस योजना के तहत स्थापित सीसीआई में अन्य बातों के साथ-साथ भोजन और आवास, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। गृहों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत

सीसीआई में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष इकाई की व्यवस्था की गई है।

मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई में विशेष आवश्यकता वाले 10 बच्चों के लिए विशेष इकाई हो सकती है। इसी प्रकार, 25 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई में 5 बच्चों के लिए विशेष इकाई हो सकती है।

दिशा-निर्देशों में सीसीआई में ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षक/चिकित्सक और नर्स की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत संस्थानों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामग्री, भाषण और भाषा के लिए प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री, व्हील चेयर जैसे विशेष उपकरण और सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।

दिनांक 31.03.2024 तक मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राजस्थान सहित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले सीसीआई की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"आश्रय गृह" के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख करने वाले बाल देखरेख संस्थानों की राज्यवार संख्या (31.03.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य	सीसीआई की संख्या	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सीसीआई की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	98	5
2	अरुणाचल प्रदेश	11	0
3	असम	60	6
4	बिहार	89	19
5	छत्तीसगढ	85	12
6	गोवा	25	0
7	गुजरात	76	0
8	हरियाणा	31	1
9	हिमाचल प्रदेश	31	2
10	जम्मू और कश्मीर	55	2
11	झारखंड	49	5
12	कर्नाटक	154	5
13	केरल	45	1
14	मध्य प्रदेश	101	4
15	महाराष्ट्र	107	0
16	मणिपुर	86	9
17	मेघालय	54	2

18	मिजोरम	60	16
19	नागालैंड	44	3
20	उड़ीसा	135	0
21	पंजाब	27	6
22	राजस्थान	141	16
23	सिक्किम	23	2
24	तमिलनाडु	320	10
25	त्रिपुरा	31	2
26	उत्तर प्रदेश	108	20
27	उत्तराखंड	36	8
28	पश्चिम बंगाल	207	40
29	तेलंगाना	63	0
30	अंडमान और निकोबार	10	0
31	चंडीगढ़	9	0
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	4	0
33	लद्दाख	7	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली	39	0
36	पुद्दुचेरी	29	3
	कुल	**2450**	**199**

*****